

न्यायालय सहायक कलक्टर, भदोसर जिला-चितीडगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी- सुश्री अंजू शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या
140/2021

दायर दिनांक
30.07.2021

फैसल दिनांक
13.01.2022

अनवान

1. नरेन्द्र पिता कल्लू जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी भावनाथ की खेडी तहसील भदोसर
2. अनिता पत्नि नरेन्द्र जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी भावनाथ की खेडी तहसील भदोसर

.....वादी

॥ बनाम ॥

भूमिधारी तहसीलदार भदोसर जिला चितीडगढ़

.....प्रतिवादीगण

वादपत्र अंतर्गत धारा 88,89 राज.काश्त. अधिनियम

उपस्थित-श्री उदय लाल गाडरी वकील वादीगण

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने अंतर्गत आदेश 07 नियम 01, 02 जा0दी0 के तहत वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके मौजा भावनाथ की खेडी पटवार हल्का भालुण्डीके आराजी नम्बर 18 रकबा 0.010 हैक्टेयर ट्यूबवेल एवं आराजी नम्बर 19 रकबा 0.86 हैक्टेयर स्थित है जिसमें वादीगण का 1/2 हक हिस्सा यानि आराजी नम्बर 19 में 0.43 हैक्टेयर एवं आ0नं0 18 में से रकबा 0.005 हैक्टेयर हक हिस्सा निहित है तथा वादीगण इसी अनुसार वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज चले आ रहे है।


यह कि भू-प्रबंध कर्मचारियो द्वारा भू-प्रबंध की कार्यवाही के दौरान वादीगण की आवंटन शुदा साबिक आराजी नं. 01मीन में से 0.86 हैक्टेयर आराजी वादीगण एवं अन्य सहखातेदारान को आवंटित की गई जिसके नये नम्बर आ0नं0 19 रकबा 0.86 हैक्टेयर में से 0.43 हैक्टेयर एवं आ0नं0 18 रकबा 0.01 हैक्टेयर में से 0.005 यानि 1/2 हिस्सा वादीगण को दिया

उपखण्ड अधिकारी
भदोसर, जिला-चितीडगढ़

तथा वक्त आवंटन वादीगण को कब्जा सिपुर्द किया गया तभी से वादीगण उक्त अराजी नम्बर 18 एवं 19 के 1/2 हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। जबकि सेटलमेंट कर्मचारियो द्वारा जिस जगह पर वादीगण एवं अन्य सहखातेदारान काबिज है उक्त अराजी नं18 एवं 19 को बिलानाम दर्ज कर दिया तथा वादीगण को आराजी नम्बर 643/3 रकबा 0.43 पर दर्ज कर दिया जबकि वादीगण आराजी नम्बर 18 एवं 19 पर शुरू से काबिज चले आ रहे है तथा वादीगण व अन्य सहखातेदार ने आराजी नम्बर 18 पर लागत लगाकर ट्यूबवेल खुदवाई एवं आराजी नम्बर 19 को काबिल काश्त बनाया। सेटलमेंट के दौरान भूप्रबंध अधिकारियो को वादीगण की आराजीयात को बिलानाम व अन्य आवंटन करने का कोई अधिकार नहीं था फिर भी भू प्रबंध के कर्मचारियो ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जा कर उक्त त्रुटि की है जिससे त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरुस्त किया जाकर बिलानाम आराजी नम्बर 19 में से वादीगण का 0.43 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 18 रकबा 0.01 ट्यूबवेल वादीगण व अन्य सहखातेदार के शामलाती की घोषित किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक होने से वादीगण के नाम खातेदारी की घोषित की जाना न्यायोचित है।

यहकि साबिक नम्बर 1मीन जिसके नये आराजी नम्बर 19 में से 0.43 हैक्टेयर भूमि एवं चाह नं0 18 रकबा 0.01 हैक्टेयर का 1/2 हिस्से पर वादीगण काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है, लेकिन राजस्व कर्मचारियो की गलती की वजह से वादीगण के राजस्व नक्शे एवं राजस्व जमाबंदी रेकार्ड में परिवर्तन करते हुए वादीगण को आराजी नं0 649/3 रकबा 0.43 हैक्टेयर पर अंकित कर दिया और आराजी नं0 18 एवं 19 को बिलानाम अंकित कर दिया है जिसे दुरुस्त करते हुए नये आराजी नं0 19 में से 0.43 हैक्टेयर भूमि एवं चाह आराजी नम्बर 18 रकबा 0.01 हैक्टेयर का 1/2 हिस्से अनुसार वादीगण के नाम घोषणा की जाकर वादीगण का नाम राजस्व नक्शे एवं राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना है कि वाद पत्र वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री पारित फरमाई जावे कि-


उपखण्ड अधिकारी
प्रदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

क-मौजा भावनाथ की खेडी प0ह0 भालुण्डी नये आराजी नम्बर 19 में से 0.43 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 18 रकबा 0.01 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्से अनुसार वादीगण के नाम घोषित की जाकर वादीगण का नाम राजस्व नक्शे एवं राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में तरमीम किया जाकर इसी अनुसार इन्द्राज दुरुस्ती किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीको जरियेसम्मन तलब किया गया। बरोज पेशी पेरोकार सरकार उपस्थित।

तहसीलदार भदेसरको मौका कमीशनर नियुक्त कर कमीशनर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया जिस पर तहसीलदार भदेसर के पत्र क्रमांक/राजस्व /2021/875 दिनांक 29.12.2021 से रिपोर्ट प्राप्त हुई, रिपोर्ट अनुसार ग्राम भावनाथ की खेडी प0ह0 भालुण्डी की आराजी नम्बर 18, 19 राजकीय बिलानाम एवं खातेदारी आराजी नम्बर 649/3 का मौका देखा गया। आराजी नम्बर 17, 18, 19 में वादीगण का कब्जा होना जाहिर आया एवं आराजी नम्बर 649/3 वादीगण के कब्जे काशत में नहीं है। सेटलमेंट से पूर्व आराजी नम्बर 1/13 रकबा 2 बीघा श्री नरेन्द्र पिता कल्लू, श्रीमति अनिता पत्नि नरेन्द्र कंजर के नाम खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार पुराने नम्बर 1/1मी के नवीन नम्बर 17, 18, 19 भी है। अतः आराजी नम्बर 17 रकबा 0.01 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 18 रकबा 0.01 ट्यूबवेल, आराजी नम्बर 19 रकबा 0.41 हैक्टेयर किता 03 कुल रकबा 0.43 हैक्टेयर भूमि वादीगण के नाम दर्ज किये जाना उचित है। आराजी नम्बर 649/3 को राजकीय बिलानाम दर्ज किया जावे।


लायक अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गयी जिन्होंने वाद में प्रस्तुत दस्तावेजो एवं वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजीयातपर वादीगण भूप्रबंध से पहले से ही काबिज होकर काशत उपयोग उपभोग कर रहा है। भूप्रबंध द्वारा वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काशत की आराजीयात को बिना किसी सक्षम बिलानाम दर्ज कर दिया जिसे पुनः वादीगण की खातेदारी में दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष अभिलेख का अधोपरान्त अवलोकन किया गया विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस पर न्यायालय वादीगण के कथन एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से सहमत है, वकील वादीगण के कथन से सहमत है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाना उचित मानते हैं।

उपरोक्त विवेचन, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार भदेसर से प्राप्त रिपोर्ट के आलोक में वाद वादीगण निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है कि कृषि आराजीयात मौजा ग्राम भावनाथ की खेडी प० ह० भालुण्डी आराजी नम्बर 17 रकबा 0.01 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 18 रकबा 0.01 ट्यूबवेल में से 1/2 हिस्सा, आराजी नम्बर 19 रकबा 0.41 हैक्टेयर भूमि वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाकर खातेदार काशतकार घोषित किये जाने एवं आराजी नम्बर 649/3 को राजकीय बिलानाम दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जावे। इसी आ"य का पर्चा डिक्री अलग से मुर्तिब हो। निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया।




(अंजू शर्मा)
उपस्थान अधिकारी
भदेसर, जिला देवरगढ़